



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा) / A3-52(6)/2022

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

- 5 SEP 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,**देहरादून: दिनांक अगस्त, 2022**

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 2648/मान्यता/के०यू०/2019-20 दिनांक 08.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़ (नैनीताल) को बी०ए० (संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, राजनीति शास्त्र, एवं भूगोल) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़ (नैनीताल)	बी०ए० (संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं भूगोल)	80 सीट प्रति विषय	2020-21

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग/शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 माह के भीतर भूमि मानकानुसार पूर्ण करते हुए तदसम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को अनिवार्य से उपलब्ध कराना कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2063 (1)/जी०एस०/शिक्षा / A3-52(6)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
- प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़, (नैनीताल)।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।